

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

राजगढ़ जिला चूरु

मानवेन्द्र सिंह

वनाम

सरकार

मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट

नम्बर मुकदमा 202 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम
23/21	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी <u>मानवेन्द्र सिंह, डा. सुमेर सिंह, जाति राजप्रताप राजगढ़</u> तहसील राजगढ़ जिला चूरु नें इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. 348 ख0नं0 1838, 1839 <u>कुलवाडी 3.468 के रोटी कम्बा राजगढ़</u></p> <p>तहसील राजगढ़ जिला चूरु में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम <u>महेन्द्र सिंह व भाण्ड</u> भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम <u>मानवेन्द्र सिंह</u> दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 348 ख0नं0 1838, 1839 <u>कुलवाडी 3.468 के रोटी कम्बा राजगढ़</u></p> <p>तहसील राजगढ़ जिला चूरु के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम <u>महेन्द्र सिंह व मान</u> के स्थान पर सही नाम <u>मानवेन्द्र सिंह</u> शुद्ध किया जावे। तदनुसार दुरुस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे।</p> <p>मिसल फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

al
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरु)